

कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-2
दिनांक- 02 जून, 2020

संख्या-कु0स0/9258/2A साप्र-I(विज्ञापन)/2020


सेवा में

विज्ञापन मैनेजर
दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान टाइम्स"
वाराणसी।

महोदय,

कृपया अधोलिखित विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार-पत्र में सम्मुखांकित तिथियों को निर्दिष्ट संस्करणों में अधिकतम 50 वर्ग सेंटीमीटर स्थान में प्रकाशित कर उन संस्करणों की दो-दो प्रतियाँ कार्यालय के उपयोग हेतु और बिल की दो प्रतियों के साथ (15% छूट+हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये 10% अतिरिक्त छूट एवं रेट लिस्ट सहित) संलग्न कर भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- (1) "अमर उजाला (हिन्दी)" : "समस्त संस्करण" में दिनांक 04-06-2020, 06-06-2020 एवं 08-06-2020
(2) "हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)" : "समस्त संस्करण" में दिनांक 05-06-2020, 07-06-2020 एवं 09-06-2020

**महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी**
उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय
विज्ञापन संख्या-3/2020

विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर-16 पद, एसोसिएट प्रोफेसर-12 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर-44 पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है। इण्डियन बैंक में निर्धारित शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कर दिनांक 09-07-2020 तक आवेदन किये जा सकते हैं।

कुलसचिव

डॉ०(एस०एल०मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा०कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
5. कुलानुशासक।
6. प्रभारी-कम्प्यूटर सेण्टर - उपर्युक्त विज्ञापन, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं अन्य विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को इस आशय से कि कृपया इसे अपने विश्वविद्यालय में प्रसारित कराने का कष्ट करें।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष-केन्द्रीय पुस्तकालय/मुख्य गृहपति/गृहस्वामिनी-छात्रावास।
9. नोडल अधिकारी/सतर्कता अधिकारी-अनुसूचितजाति/जनजाति, विशेष रोजगार सूचना प्रकोष्ठ।
10. सहायक कुलसचिव।
11. विश्वविद्यालय सेवायोजन, सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र/सूचनापट्ट।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय

विज्ञापन संख्या-3/2020

विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर-16 पद, एसोसिएट प्रोफेसर-13 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर-44 पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है। इण्डियन बैंक में निर्धारित शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कर दिनांक 09-07-2020 तक आवेदन किये जा सकते हैं।
कुलसचिव

विज्ञापन संख्या-3/2020 – रिक्त पदों का विवरण

क्र० स०	विषय/ विभाग	प्रोफेसर					एसोसिएट प्रोफेसर					असिस्टेंट प्रोफेसर				
		Gen.	OBC	SC	ST	EWS	Gen.	OBC	SC	ST	EWS	Gen.	OBC	SC	ST	EWS
1.	अर्थशास्त्र	01* ¹	01	01	-	-	-	-	01	-	-	01	01	01	-	-
2.	समाजशास्त्र	-	01* ²	-	-	-	-	01* ⁴	-	-	-	03* ⁷	-	03* ⁷	01	01
3.	मनोविज्ञान	01	01	-	-	-	01* ⁵	01* ⁵	01	-	-	-	-	-	01	-
4.	समाजकार्य	01* ³	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03* ⁸	-	-	-	02
5.	अंग्रेजी	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-
6.	हिन्दी	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	03* ⁹	-	-	-	01
7.	इतिहास	-	-	01	-	-	-	-	01* ⁶	-	-	03* ¹⁰	01	01	-	01
8.	दर्शनशास्त्र	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-
9.	पत्रकारिता संस्थान	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	राजनीतिशास्त्र	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	02* ¹¹	02	-	-	-
11.	शिक्षाशास्त्र	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
12.	संस्कृत	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01	01	-	01	-	01
13.	पत्रकारिता विभाग	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-
14.	ललितकला	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-
15.	वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-
16.	विधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
17.	सांख्यिकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-
18.	गांधी अध्ययनपीठ	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-	05	06	04	-	01	02	04	05	-	02	21	08	07	02	06

- *¹—प्रोफेसर—अर्थशास्त्र Gen.-01पद General Economics preferably in Mathematical Economicsमें विशेषीकरण है।
*²—प्रोफेसर—समाजशास्त्र OBC-01पद Criminology में विशेषीकरण का है।
*³—प्रोफेसर—समाजकार्य Gen.-01पद Industrial Relation and labour welfare में विशेषीकरण का है।
*⁴—एसोसिएट प्रोफेसर—समाजशास्त्र OBC-01पद Criminology में विशेषीकरण का है एवं दिव्यांग हेतु आरक्षित है। इस पद पर नियुक्ति माननीय न्यायालय में योजित याचिका संख्या-10758/2011 में पारित निर्णय से आच्छादित होगी।
*⁵—एसोसिएट प्रोफेसर—मनोविज्ञान के Gen.-01 एवं OBC-01 पद Social Psychology/Industrial Psychology/Clinical psychology में विशेषीकरण का है।
*⁶—एसोसिएट प्रोफेसर—इतिहास SC-01पद Medieval Indian History विशेषीकरण का है।
*⁷—असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजशास्त्र के Gen.-03 पदों में से 01पद—Criminology में विशेषीकरण एवं 01पद—Social Statistics में विशेषीकरण के हैं तथा SC-03पद में से 01पद पद अवकाश रिक्त है।
*⁸—असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजकार्य के Gen.-03पदों में से 01पद—दिव्यांग (दृष्टबाधित या कम दृष्टि) हेतु आरक्षित है।
*⁹—असिस्टेंट प्रोफेसर—हिन्दी के Gen.-03पदों में से 01पद दिव्यांग हेतु आरक्षित है।
*¹⁰—असिस्टेंट प्रोफेसर—इतिहास के Gen.-03पदों में से 01पद Modern European History में विशेषीकरण का है।
*¹¹—असिस्टेंट प्रोफेसर—राजनीतिशास्त्र के Gen.-02पदों में से 01पद Comparative Politics/Political Development में विशेषीकरण का है।

वेतनमान :

1. प्रोफेसर : Academic Level – 14 with rationalized entry pay of Rs.1,44,200
2. एसोसिएट प्रोफेसर : Academic Level – 13A with rationalized entry pay of Rs.1,31,400
3. असिस्टेंट प्रोफेसर : Academic Level – 10 with rationalized entry pay of Rs.57,700

नोट :- आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
विज्ञापन संख्या-3/2020 - आवश्यक तिथियाँ एवं आवेदन-शुल्क

नियुक्ति आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि	दिनांक 07-06-2020 से 09-07-2020 तक
शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 07-06-2020 से 08-07-2020 तक
आवेदन-पत्र का प्रिन्ट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 12-07-2020 तक

वेबसाइट से प्रिन्ट किये गये आवेदन-पत्र की प्रति समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 18-07-2020 तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क :

General	: रू.1500.00 (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र)।
EWS	: रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)।
OBC	: रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)।
SC	: रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)।
ST	: रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)।

अर्हता :-

1. विज्ञापित पदों की अर्हता एवं अन्य शर्तें उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उ0प्र0शासन द्वारा संशोधित अभिनव मानक तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार किये गये नवीनतम संशोधनों के अधीन होंगी।
2. University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in universities and colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations 2018 and all Amendment will be applicable for as certaining Minimum eligibility as case may be.

निर्देश :-

1. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् उसका प्रिन्ट डाउनलोड कर समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 18-07-2020 तक विश्वविद्यालय को केवल पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से प्राप्त कराना आवश्यक है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदित पद/पद का संवर्ग/अभ्यर्थी का संवर्ग शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि सूचनायें आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित करना अनिवार्य है। अस्पष्ट/अपूर्ण/भ्रामक सूचना की स्थिति में भी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।
3. प्रत्येक पद एवं संवर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति हेतु 01-07-2020 को अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार उ0प्र0 के निवासी होने पर आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र (छ: माह के भीतर जारी किया हुआ) संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र में क्रिमीलेयर (Creamy Layer) के होने/न होने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को पिता के नाम सहित आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में संगत लाभ देय नहीं होगा।
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य आरक्षण देय है। दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के परीक्षा काल पर की जाएगी जिसे एक वर्ष से अनधिक काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अवकाश रिक्त के पदों पर नियुक्ति अवकाश अवधि के लिए है। पद के भविष्य में रिक्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
7. उ0प्र0शासन के नियमानुसार वेतन, भत्ते, न्यू पेंशन एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।
8. विज्ञापित पदों में से एक या अधिक पदों पर नियुक्ति न करने अथवा विज्ञापित पद को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। चयन समिति के समय तक विज्ञापित विषयों में रिक्तियाँ उपलब्ध होने की स्थिति में पदों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। अर्थात् पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
9. आवेदन-पत्रों की जाँच/स्क्रीनिंग के उपरान्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
10. साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक (Provisional) बुलावा-पत्र प्रेषित किया जायेगा जो निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण होने पर मान्य होगा। त्रुटिवश या मानक पूर्ण न होने पर निर्गत साक्षात्कार बुलावा पत्र अमान्य होगा।
11. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
12. आवेदकों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषयवार/पदवार भिन्न-भिन्न हो सकती है जिनमें से कुछ अथवा समस्त को साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है।
13. आवेदन-पत्र में उल्लिखित योग्यता/अर्हता/अनुभव आदि के प्रमाण स्वरूप अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. डाउनलोड किये गये आवेदन-पत्र का प्रिन्ट समस्त प्रपत्रों के साथ केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 18-07-2020 है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, फलतः निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जाएगी।
15. आवेदन-पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखें :-
 - (i) विज्ञापन संख्या-3/2020
 - (ii) आवेदित पद का नाम, विषय, संवर्ग एवं विषय-विशेषीकरण यदि कोई हो।
16. पूरित आवेदन-पत्र प्रेषित करने का पता :-

कुलसचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002.

कुलसचिव